कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0)

www.raipur.dcourts.gov.in, e-mail: raipur.court@nic.in
Phone: 0771- 2426742, FAX: 2445457

//संक्षिप्त निविदा आमंत्रण सूचना//

क्रमांक/110/दो–12–2/07 (कंम्प्यू.अनु.) रायपुर, दिनांक 07/01/2025

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, रायपुर में कार्यरत न्यायालयों तथा अनुभागों में संस्थापित **"प्रिंटर मॉडल एच. पी.** (HP) **4004 डी. डब्ल्यू के कार्टरीज मॉडल 152–ए के कय के लिय खुले बाजार के** अधिकृत विक्रेताओं से सीलबंद निविदा (टेंडर) सुरक्षा निधि की राशि 10000/– के साथ **दिनांक 22 जनवरी, 2025 के सांय** 05:00 बजे तक स्पीड पोस्ट/कोरियर/पंजीकृत डॉक व्दारा आमंत्रित की जाती है ।

निविदा के साथ फर्म के समस्त आवश्यक दस्तावेज जैसे पंजीयन प्रमाणपत्र, अधिकारपत्र, टिन/टैन नंबर/जी.एस.टी.ईन. नंबर ईत्यादि संलग्न किया जाना आवश्यक है। निर्धारित समयावधि में प्राप्त निविदाओं को समयावधि के पश्चात् कय समिति के समक्ष खोला जावेगा ।

किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार न्यायालय की गठित कय समिति को होगा एवं कय समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा । निविदा की नियम तथा शर्तें जिला न्यायालय, रायपुर की वेबसाईट **www.raipur.dcourts.gov.in** में देखी जा सकती है ।

07.01.25

अध्यक्ष
कय समिति
कार्या0–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर छ.ग.

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0)

//निविदा आवेदनपत्र का प्रारूप//

अंतिम तिथि–22–01–2025

जिला न्यायालय,रायपुर छत्तीसगढ़ हेतु "प्रिंटर मॉडल एच0पी0 4004 डी0 डब्ल्यू का कार्टरीज 152–ए क्रय किये जाने हेतु

कमांक	विवरण	संस्था/फर्म/निविदाकार के व्दारा दी जाने वाली जानकारी
1	संस्था/फर्म का नाम	
2	संस्था/फर्म के संचालक का नाम	
3	संस्था/फर्म का रजिस्टर्ड पता	
4	दूरभाष/मोबाईल नंबर	
5	पेन कार्ड का नबंर	
6	TIN नंबर	
7	TAN नंबर	
8	अधिकार प्रमाणपत्र	
9	अन्य विवरण जो आवश्यक हो	
	निविदा प्रस्ताव (Commercial Bid)	
1	सुरक्षा निधि राशि 10000/–	
2	डिमांड ड्राफ्ट का नंबर	
3	जारीकर्ता बैंक का नाम	
4	जारी दिनांक	
	प्रदाय की जाने वाली सामग्री का विवरण	
	सामग्री का नाम	प्रस्तावित दर (केवल एक नग कार्टरीज सभी टैक्स सहित)
1	"प्रिंटर मॉडल एच0पी0 4004 डी0 डब्ल्यू का कार्टरीज 152–ए **ओरिजनल**	
2	"प्रिंटर मॉडल एच0पी0 4004 डी0 डब्ल्यू का कार्टरीज 152–ए **कांपीटेबल**	

निविदाकार के हस्ताक्षर
फर्म/संस्था की सील

Approved
07.01.25

कार्यालय–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0)

www.raipur.dcourts.gov.in **e-mail: raipur.court@nic.in**

Phone: 0771- 2426742, FAX: 2445457

निविदा की शर्तें

1– निविदा सीलबंद लिफाफे के उपर "प्रिंटर मॉडल एच. पी. (HP) 4004 डी. डब्ल्यू के कार्टरीज मॉडल 152–ए हेतु निविदा लिखी जाकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को संबोधित करते हुए लिफाफे के बायी ओर स्वयं का पूरा पता एवं टेलीफोन/मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई.डी. अंकित कर सुरक्षा निधि की राशि 10000/– रूपये के डिमांड ड्राफ्ट के साथ निविदा आवेदनपत्र प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर, छत्तीसगढ़ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अथवा डॉक/कोरियर सेवा के माध्यम से दिनांक 22 जनवरी 2025 के सांय 05:00 बजे तक प्रेषित की जा सकेगी । दिनांक 22 जनवरी 2025 के सांय 05:00 बजे तक कार्यालय में प्राप्त निविदा आवेदन लिफाफे पर ही विचार किया जावेगा ।

2– निविदायें खोलते समय निविदाकार अथवा उसके व्दारा अधिकृत प्रतिनिधि क्रय समिति के समक्ष उपस्थित रह सकतें हैं । निर्धारित तिथि को निविदाकार अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुपस्थिति की दशा में क्रय समिति के व्दारा निविदा खोली जावेगी ।

3– प्रदान किया गया कार्टरीज मापदंड के अनुसार नहीं होने पर स्वीकार नहीं किये जाने का अधिकार इस कार्यालय को होगा ।

4– कार्टरीज की दर सभी प्रकार के कर को मिलाकर होगी, निविदाकार को कार्टरीज के पूर्ण विवरण एवं कर ईत्यादि के संबंध में स्पष्ट उल्लेख करना होगा ।

5– प्राप्त निविदा को स्वीकार किये जाने अथवा बिना कोई कारण बताये अस्वीकार किये जाने का संपूर्ण अधिकार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर के अधीन होगा।

6– निविदा प्राप्ति के अंतिम दिवस के अगले दिवस दिनांक 23 जनवरी 2025 को प्रातः 10:30 बजे सुबह निविदा खोली जावेगी यदि किसी अपरिहार्य कारण से निविदा नहीं खोली जा सकी तो आगामी कार्यदिवस पर अथवा समिति जैसे भी तिथि निर्धारित करे, नियत तिथि को खोली जावेगी ।

7– जिन फर्मों/ संस्थानों के व्दारा निविदा भरी जावेगी उनको संबंधित कंपनी के अधिकृत डीलर/विक्रेता/सुधारकर्ता होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा ।

8– निविदा की शर्तें एवं निविदा प्रारूप जिला एवं सत्र न्यायालय, रायपुर की वेबसाईट www.raipur.dcourts.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है ।

9– कार्टरीज में यदि कोई खराबी पाई जाती है तो उसके बदले में नवीन कार्टरीज प्रदान करने का भार सफल निविदाकार व्दारा किया जावेगा ।

10– सफल निविदाकार के सुरक्षा निधि की राशि के संबंध में प्रस्तुत डिमांड ड्राफ्ट इस कार्यालय के व्दारा अभिरक्षा में रखा जावेगा तथा शेष असफल निविदाकारों का डिमांड ड्राफ्ट लौटा दिया जावेगा ।

11– सफल निविदाकार को राशि का भुगतान कार्टरीज प्रदान करने तथा इंस्टालेशन की संतुष्टि के उपरांत ही किया जावेगा ।

07.01.2025

अध्यक्ष
क्रय समिति
कार्या0–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर छ.ग.